GCMS No.- 2025/154

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.), मुकाम–सिरोही(राज.)

प्रार्थीया

संगीता कुमारी पुत्र श्री तलसाजी, जाति मेघवाल, निवासी नई आबादी वराडा, तह. व जिला सिरोही।

अप्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सिरोही।

किस्म मुकदमा,
राजस्व प्रा.पत्र अ.धारा 136 एल.आर एक्ट

रा.प्रा.पत्र सं. 90/2025

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
19.11.2025	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीया की ओर वकील श्री चेतन रावल व स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी स्टेट ने जरिये पत्रांक 1025 दिनांक 10.11.2025 से प्रस्तुत जवाब को शामिल पत्रावली किया गया, प्रति वकील प्रार्थीया को उपलब्ध करवाई गई। प्रकरण में वकील प्रार्थीया व पेरोकार सरकार द्वारा अंतिम बहस हेतु निवेदन पर वकील प्रार्थीया व पैरोकार सरकार की अंतिम बहस सुनी गई। हमने वकील प्रार्थीया व पैरोकार सरकार की अंतिम बहस का गभीरता पूर्वक मनन किया, विचरण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली का भी गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया । सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन, पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड तथा तहसीलदार सिरोही से प्राप्त जवाब अनुसार मौजा वराडा, पटवार हल्का वराडा, तह. व जिला सिरोही के खाता सं. 98 खसरा सं. 05 रकबा 1.8900 हैक्ट. की सयुक्त खातेदारी की आराजी में प्रार्थी का नाम नाबालिग गंगा पुत्री तलसा सरक्षक सरपरस्त चूनी बेवा तलसा दर्ज है। प्रार्थीया के पिता तलसाजी की मृत्यु के पश्चात प्रार्थीया की माता ने नामान्तकरण में अपनी पुत्री का घर का नाम गंगा दर्ज करवा दिया था जबकि राशनकार्ड, स्थानान्तरण प्रमाण पत्र, पेनकार्ड, बैंक डायरी इत्यादि दस्तावेजों में प्रार्थीया खातेदार का सही व दस्तावेजी नाम संगीता कुमारी पुत्री तलसाजी दर्ज है। अतः प्रार्थीया खातेदार का राजस्व रेकर्ड में "गंगा" के स्थान पर "संगीता कुमारी" संशोधन करने की अनुशंसा की जाती है। सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त प्रार्थीया का यह प्रार्थना पत्र अ.धारा 136 एल.आर एक्ट का तहसीलदार से प्राप्त जवाब के आधार पर स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, सिरोही को आदेश दिया जाता है कि ***राजस्व ग्राम वराडा, पटवार हल्का वराडा, तह. व जिला सिरोही के खाता सं. 98 खसरा सं. 05 रकबा 1.8900 हैक्ट. में प्रार्थीया खातेदार का नाम 'गंगा" के स्थान पर "संगीता कुमारी" संसोधन कर*** उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड जमाबंदी अपडेट कर पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें। लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही	